मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

अब आवेदन करना हुआ आसान / घर बैठे कर सकते है आवेदन / निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा भी कर सकते है-:

बिहार सरकार ने बाल कन्या विवाह रोकने के लिए प्रमुख पहल के रूप में **मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना** की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत, राज्य सरकार एक बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये, 10,000 इंटर स्कूल परीक्षा (अविवाहित) के पूरा होने के बाद और 25,000 स्नातक डिग्री उत्तीर्ण करने पर प्रदान करेगी।

यह योजना एक परिवार की 2 लड़कियों तक लागू होती है। बिहार सरकार ने अप्रैल 2018 से इसयोजना को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया है। यह एक सार्वभौमिक योजना है जो किसी जाति, धर्म और आय के आधार पर बिना किसी भेदभाव के सभी लड़कियों के लिए उपलब्ध है।

(जो बिहार राज्य के मूल निवासी हो)

लड़की के जन्म पर (5,000 रुपये)

- राज्य सरकार बालिका के जन्म के समय **2,000 रुपये** की पहली किस्त प्रदान करेगी।
- 1 साल की उम्र में बिहार सरकार बालिका के अभिभावक को **1,000 रुपये** की दूसरी किस्त प्रदान करेगी। इस राशि के लिए, प्रत्येक 1 वर्षीय बच्चे को आधार संख्या से जोड़ा जाना चाहिए।
- बालिका का टीकाकरण पूरा होने के बाद **2,000 रुपये** की अंतिम किशत भी अभिभावक को दे दी जाएगी।
- ये प्रोत्साहन पूर्ण टीकाकरण और आधार संबंध के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेंगे और उसको बढ़ावा भी देगा।

- प्रति वर्ष वर्ग 1–2 कन्या पोशाक राशी के लिए 600/- 2 वर्षो तक
- प्रति वर्ष वर्ग 3–5 कन्या पोशाक राशी के लिए 700/- 3 वर्षो तक
- प्रति वर्ष वर्ग 6–8 कन्या पोशाक राशी के लिए 1000/- 3 वर्षो तक
- प्रति वर्ष वर्ग 9–12 कन्या पोशाक राशी के लिए 1500/- 4 वर्षो तक
- प्रति वर्ष वर्ग 7–12 किशोरी स्वास्थ्य योजनान्तर्गत सेनेटरी नैपकीन हेतु 300/- 6 वर्षो तक

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

- जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करे
- माँ के साथ बच्चे की तस्वीर अपलोड करें
- आधार नंबर)माता का(
- आंगनवाड़ी केंद्र कोड संख्या
- जन्म निबंधन संख्या

- माता का बैंक खाता की विवरणी
- नोट-: माता की मृत्यु होने की स्थिति में पिता का आधार नंबर एवं बैंक खता की विवरणी उपलब्ध करायें

इंटरमीडिएट परीक्षाएं उत्तीर्ण करने पर (10,000 रुपये)

जब कोई लड़की इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण करती है तो उसे प्रोत्साहन के रूप में **10,000 रुपये** मिलेंगे। परन्तु इस राशि का लाभ उठाने के लिए एक शर्त है कि लड़की अविवाहित होनी चाहिए। विवाहित लड़कियों को इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह कदम बाल विवाह को रोकने में मदद करेगा।

स्नातक डिग्री उत्तीर्ण करने पर (25,000 रुपये)

स्नातक की डिग्री उत्तीर्ण करने पर इस प्रोत्साहन का लाभ उठाने के लिए, हर छात्रा को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक पाठ्यक्रम पारित करना होगा। इसके अलावा, ये प्रोत्साहन राशि विवाह के लिए किसी पूर्व शर्त के अधीन नहीं हैं। सभी लड़कियों, **शादीशुदा या अविवाहित** दोनों इस योजना के लाभ उठा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, स्नातक उत्तीर्ण होने के समय, लगभग हर लड़की बालिग हो जाती है। यह योजना केवल स्नातक उत्तीर्ण के समय मिलती है।

कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत राज्य में एक परिवार की दो लड़कियाँ इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। सभी लड़कियों के लिए शुरू की गई यह एक सार्वभौमिक योजना है, जाति, धर्म और आय के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा।

कन्या उत्थान योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में कन्या मृत्यु दर को कम करना, शिशु भ्रूणहत्या को ख़त्म करना, शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, लड़कियों का जन्म पंजीकरण और पूर्ण टीकाकरण करना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, लड़कियों के जन्म और उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह को खत्म करना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना, परिवार और समाज के निर्माण में महिलाओं के योगदान में वृद्धि करना, लड़कियों के जीवन स्तर को बढ़ाना, लड़कियों के गौरव को बढ़ाना एवं लड़कियों को सामाज में समानता का अधिकार दिलाना भी है।

कन्या उत्थान योजना के लिए योग्यता'

बिहार सरकार ने इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं। इनके योग्य व्यक्ति ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता हैं।

- आवेदक लड़की को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य हैं।
- कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने के लिए लड़की गरीब घर की होनी चाहिए।

- इस योजना का लाभ उसी लड़की को मिलेगा जिसका घर का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी पर ना हो।

- अगर लड़की को 10,000 हजार रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करनी है, तो उसे 12वीं कक्षा की मार्क शीट जमा करनी होगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेजों का होना आवश्यक हैं, जो इस प्रकार से हैं।

- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- वोटर आईडी कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज की फोटो
- 12वीं कक्षा की मार्क शीट

- अगर लड़की को 25,000 हजार रुपये की छात्रवृत्ति राशि प्राप्त करनी है, तो उसे स्नातक की मार्क शीट जमा करनी होगी।

इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरुरी दस्तावेजों का होना आवश्यक हैं, जो इस प्रकार से हैं।

- आधार कार्ड की फोटो कॉपी
- वोटर आईडी कार्ड की कॉपी
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज की फोटो
- 12वीं कक्षा की मार्क शीट
- स्नातक की मार्क शीट

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के लाभ

बिहार में इस योजना से लड़कियों को होने वाले लाभ निम्नलिखित हैं। जिनका विवरण नीचे दिया गया हैं।

1. कन्या उत्थान योजना के शुरू होने से लड़कियों का जीवन स्तर ऊपर उठेगा।
2. राज्य में इस योजना से लड़का – लड़की के लिंग भेद को कम करना हैं।
3. इस योजना से राज्य में बालिका शिशु दर को कम करना हैं।
4. प्रदेश के कोई भी माता पिता अपनी बेटी को अब बोझ नहीं समझेगा।
5. इस योजना के लागु होने से राज्य की अब प्रत्येक लड़की को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
6. राज्य की अब हर लड़की अपनी आगे की पढाई पूरी कर सकेगी।